न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 07/2024

बउनवान

सीताराम आयु 60 वर्ष पुत्र श्री धूलीलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम मउ, तहसील मांगरोल, जिला बारां, राज0

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 27.05.2024

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 16.01.2024 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम मउ की आराजी खसरा नम्बर 1020 रकबा 0.50 है., किस्म–बंजड़ पर अतिक्रमी मानकर दिनांक 16.01.2024 को एकतरफा निर्णय सुनाया है जिसमें उन्होने अपीलांट की उपरोक्त भूमि पर बने हुए मकान व बगीचे को ध्वस्त करके बेदखल करने के आदेश दिये हैं जो सरासर गलत व निरस्तनीय है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि जिस भूमि के बाबत निर्णय दिया गया है उसमें सर्वप्रथम तारीख 11–1–2024 नियत की गई थी इस तारीख के लिए अपीलांट के नाम सम्मन जारी किये गये किन्तु अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई तथा बिना सूचना के दिनांक 16.01.2024 को अपीलांट की अनुपस्थिति लिखकर निर्णय सुना दिया गया जबकि अपीलांट को इस प्रकरण की कभी कोई जानकारी नहीं दी गई। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट में यह बताया कि अपीलांट ने ग्राम मउ की खसरा नंबर 1020 रकबा 0.60 है. किस्म बरानी पर गेंहू 0.20 है में व चना 0.20 है. तथा बगीचा 0.12 है. कुल 0.52 है. में कब्जा करके फसल बो रखी है व पौधे लगा रखे हैं जबकि जो पटवारी के पास दिनांक 18.01.2024 को आदेश भेजा उसमे अपीलांट को भूमि से मौके से बेदखल करने के आदेश हैं जबकि दिनांक 30.01.2024 को जो नायब तहसीलदार मांगरोल ने आदेश निकाला है उसके अन्दर प्रकरण संख्या 84/2024 में [illegible] आदेश दिया है इससे स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार मांगरोल ने राजनैतिक [illegible] अपीलांट के विरूद्ध आदेश दिया है जो सरासर निरस्तनीय है। उप[illegible] एक दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92 एवं धारा 188 [illegible] अधिकारी मां[illegible] के यहां पर वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:32:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

2017 से पेश किया हुआ है जिसमे राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार को भी पक्षकार बनाया हुआ है। उपरोक्त भूमि पर अपीलांट पिछले 30 वर्ष से अधिक समय से काबिज है तथा प्रतिवर्ष इस भूमि का जुर्माना जमा करता चला आ रहा है। अपीलांट ने इस भूमि पर 30–35 पेड़ अमरूद, गुलमोहर, नीम व ईमली के लगा रखे हैं जो 25–30 वर्ष पुराने हैं जो अपीलांट द्वारा ही लगाये गये हैं। अपीलांट के हिस्से में मात्र 6 बीघा भूमि है इस प्रकार अपीलांट भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में आता है। विवादित भूमि अपीलांट की भूमि खसरा नंबर 1019 से लगी हुई है इस कारण इस भूमि को नियमन का प्रथम हक भी अपीलांट का बनता है। इस कारण यह प्रकरण नायब तहसीलदार को नियमन कमेटी के समक्ष नियमन हेतु भेजा जाना चाहिये था किन्तु उन्होने ऐसा न कर राजनैतिक दबाव में निर्णय पारित किया है जो सरासर निरस्तनीय है। नायब तहसीलदार ने निर्णय से पूर्व प्रकरण में पटवारी हल्का के बयान लेखबद्ध नहीं किये तथा निर्णय भी एक कम्प्यूटराईज फार्म में छपवाकर जारी कर दिया जो कानून के खिलाफ है। अतः निर्णय दिनांक 16.01.2024 प्रकरण संख्या 80/2024 नायब तहसीलदार मांगरोल निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण को नियमन कमेटी के समक्ष नियमन के लिये भिजवाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उक्त भूमि पर अपीलांट पिछले 30 वर्ष से अधिक समय से काबिज है तथा प्रतिवर्ष इस भूमि का जुर्माना जमा करता चला आ रहा है। अपीलांट ने इस भूमि पर 30–35 पेड़ अमरूद, गुलमोहर, नीम व ईमली के लगा रखे हैं जो 25–30 वर्ष पुराने हैं जो अपीलांट द्वारा ही लगाये गये हैं। अपीलांट के हिस्से में नोशनल शेयर से मात्र 6 बीघा भूमि आती है इस प्रकार अपीलांट भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में आता है। तथा विवादित भूमि अपीलांट की भूमि खसरा नंबर 1019 से लगी हुई है। इस प्रकार अपीलांट नियमन की पात्रता रखता है। अपीलांट ने उक्त आराजी अपने खाते दर्ज कराने तथा स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 एवं 188 आर.टी.ए. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल में दिनांक 30.07.2017 को पेश किया है जो वर्तमान में लम्बित है। अत निर्णय दिनांक 16.01.2024 प्रकरण संख्या 80/2024 नायब तहसीलदार मांगरोल निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण को नियमन कमेटी के समक्ष नियमन के लिये भिजवाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में विधिक दृष्टांत आर एल ड्ब्ल्यू 2008(1) आर जे पृष्ठ संख्या 670 बउनवान नाथू सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य की छायांप्रति पेश की।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में नियत दिनांक 11.01.2024 को उपस्थित रहा है तथा अपीलांट ने जवाब नोटिस भी पेश किया है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:32:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज.)

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन नितान्त असत्य है कि अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई तथा बिना सूचना के दिनांक 16.01.2024 को अपीलांट की अनुपस्थिति लिखकर निर्णय सुना दिया गया जबकि अपीलांट को इस प्रकरण की कभी कोई जानकारी नहीं दी गई। अपीलांट ने स्वंय अपील में अंकित किया है कि वह विवादित आराजी पर विगत 30 वर्ष से काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 84/24 निर्णय दिनांक 16.01.2024 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अपीलांट विवादित आराजी पर विगत 30 वर्षो से काबिज काश्त है तथा कब्जे के आधार पर उक्त आराजी अपने खाते दर्ज कराने हेतु अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 एवं 188 आर.टी.ए. पेश किया हुआ है जो वर्तमान में लम्बित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रश्नगत आराजी ख0नं0 1020 रकबा 0.50 है0 किस्म बंजड़ ग्राम मउ पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 84/24 में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2024 से बेदखल किये जाने का आदेशा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां द्वारा प्रकरण संख्या 84/24 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2024 यथावत रखा जाता है। अपीलांट नियमन कमेटी के समक्ष अपना आवेदन पृथक से पेश करे जिस पर भूमि आवंटन सलाहकार समिति नियमानुसार अपीलांट की पात्रता के सम्बन्ध में विचारण कर अपीलांट के आवेदन का निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:32:36 IST
Reason: SelfAttested